राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट बिजौलियां जिला भीलवाडा

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 514 दिनांक : 28 / 03 / 2023

प्रेषिति:–

तहसीलदार
बिजौलियां

विषयः– प्रकरण संख्या 293 / 2022 पत्थरगढी बाबत्।

श्रीमती बदाम देवी पत्नि मांगीलाल जाति खटीक निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

....................प्रार्थीया

बनाम

भोजा पिता नाना लाल जाति भील निवासी तिखी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..............विपक्षीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **ग्राम तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द, भू–अभिलेख निरिक्षक बिजौलियां खुर्द मे स्थित खाता संख्या 43 की आराजी नं0 198 / 154 रकबा 1.2950 हैक्टेयर** भूमि की पत्थरगढी बशामलाती सभी काश्तकारों एवं पडोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी की जावे। यदि विपक्षीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे। संबंधित को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। प्रकरण में पत्थरगढी हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रुपये तय की जाती हैं। जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को अधिकतम 20 दिवस में प्रस्तुत करे।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट, बिजौलिया

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

E/DECISION/PATARGADI

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 293/2022 तारीख दायर 29. 11 .2022

अनवान

01. बदाम देवी पत्नि मांगीलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा(राज.)

.... प्रार्थीया

बनाम

01. भोजा पिता नाना लाल भील उम्र वयस्क निवासी तिखी तहसील बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा(राज.)

.... विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट</u>

– : <u>आदेश</u> : –

दिनांक 28/3/2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया श्रीमती बदाम देवी पत्नि मांगीलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 43 पर स्थित आराजी न0 198/154 कुल खसरा संख्या 01 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां में में स्थित खाता संख्या 43 पर स्थित आराजी न0 198/154 कुल खसरा संख्या 01 रकबा 1.2950 हेक्टेयर की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस 500/– रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner